न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 26/2019
दायर दिनांक :– 15–04–2019
निर्णय दिनांक :– 03–03–2020

अनवान

1. श्रीमती रहमती पति श्री सफी मोहम्द जी मुसलमान आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला रामसमन्द
2. श्री गनी मोहम्मद पिता श्री सफी मोहम्मद जी मुसलमान आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला रामसमन्द

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगा पति श्री शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती रामनारायणी पिता कनकमल महाजन आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. श्री सुखलाल पिता श्री मोहनलाल टांक आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. श्री गोवर्धनलाल पिता श्री मोहनलाल टांक आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. श्री भैरूलाल पिता प्रताप जाति जाट आयु वयस्क निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (फौत)
   5(1). श्री किशनलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी हथाई मोहल्ला रेलमगरा
   5(2). श्री शंकरलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी हथाई मोहल्ला रेलमगरा
   5(3). श्रीमती कंचन पुत्री भेरूलाल पत्नि हीरालाल जाट निवासी पोटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
   5(4). श्रीमती पुष्पा पुत्री भैरूलाल पत्नि पृथ्वीराज जाट निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रेलमगरा, मुकदमा नम्बर 01 सन् 2019 (रास्ता), 251 आर.टी.आई. एक्ट आदेश दिनांक 29.03.2019 बअनवान श्रीमती गंगा बनाम श्रीमती रामनारायणी वगैरा

उपस्थित :–
1– श्री उदय लाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट

–: निर्णय :–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रास्ते संबंधित प्रार्थना पत्र तहसीलदार रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको सुनवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला राजसमन्द

करके रेस्पों0 संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया जबकि मौके पर अपीलार्थी की लोहे की फाटक वर्षो पुरानी लगी हुई हैं जिसको हटाने का आदेश दिया गया हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत पर जाने हेतू वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की लोहे की फाटक को हटाने का आदेश दिनांक 29.03.2019 को दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 एवं 5(फौत)होने से उनके वारिसान 5(1) से 5(4) बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–03–2019 को जो निर्णय पारित किया गया है वह अवैध, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध होकर काबिल निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रास्ते संबंधित प्रार्थना पत्र तहसीलदार रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको सुनवाई करके रेस्पों0 संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया जबकि मौके पर अपीलार्थी की लोहे की फाटक वर्षो पुरानी लगी हुई हैं जिसको हटाने का आदेश दिया गया हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत पर जाने हेतू वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की लोहे की फाटक को हटाने का आदेश दिया जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलार्थी की भूमि राजस्व ग्राम रेलमगरा के वर्तमान आराजी नम्बर 2592 होकर अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारों की भूमियॉ हैं। सहखातेदारों ने आपसी सुविधा अनुसार मौके पर खेतों का विभाजन कर रखा हैं, तथा दुसरे सह खातेदार के आने जाने हेतु निजी रास्ता विद्यमान हैं, जो अपीलार्थीगण के खेत की सीमा में प्रवेश करते ही वहॉ पर वर्षो पुरानी लोहे की फाटक लगा रखी हैं जिसको खोल कर अपीलार्थीगण अपनी भूमि में प्रवेश कर उपयोग–उपभोग लेते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं जिला कलक्टर महोदय (सर्तकता) की जांच रिपोर्ट की अनदेखी कर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा उक्त आदेश पारित कर विधि की भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूमि बाद में खरीदी तथा खरीद की गई भूमि के संबध में रास्ते बाबत् वर्ष 2006 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर को रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट पर माननीय जिला कलक्टर महोदय राजसमंद द्वारा जॉच करवाई गई थी जॉच में स्पष्ट वर्णित किया गया कि मौके पर आराजी नम्बर 2592 के वहॉ पर रास्ता सहकाश्तकारों की सहमती से स्वयं की भूमि पर आने जाने हेतु ही रास्ता छोडा गया हैं न कि आराजी नम्बर 2587 में जाने आने हेतु। यह दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट प्रमाणित हो चुका है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि में लगाई गई लोहे की फाटक को हटाने का आदेश दिया गया जो विधि विरूद्ध है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अलग जाकर अपना निर्णय दिया हैं जो विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होकर काबिल निरस्त हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.03.2019 अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया हैं कि श्रीमती गंगा देवी पति शंकरलाल जाट की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2587 के उपयोग उपभोग के लिये हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि के आने जाने के लिये अपीलान्ट के आराजी नम्बर 2592 की पश्चिम मेड के सहारे होती हुई अपनी खातेदारी भूमि में जाती हैं जिसको अपीलान्ट द्वारा आने जाने के लिए मना कर दिया और रास्ते में दोनों तरफ खम्बे खडे कर लोहे की फाटक लगाकर ताला लगा दिया। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 उसकी खातेदारी भूमि पर नहीं जा पा रही थी, ना ही उसकी फसल की बुवाई कर पा रही थी। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि में जाने वाले रास्ते में प्रार्थी द्वारा लोहे की फाटक लगाकर

अवरोध पैदा कर दिया था। जो अवैध होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के प्रतिकूल है। किसी खातेदार का चालू रास्ता रोकना सूखाचार के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खुलवाने का जो निर्णय पारित किया गया वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली के अवलोकन करने उपरान्त स्पष्ट होता हैं कि रेलमगरा के खसरा नम्बर 2592 में प्रचलित रास्ता मौके पर उपयोग लिया जा रहा था जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं था इसी बात का फायदा उठाते हुए अपीलान्ट द्वारा रास्ता बन्द किया गया जिससे दुखी होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार रेलमगरा के समक्ष अपील प्रस्तुत रास्ता खुलवाने का निवेदन किया तहसीलदार रेलमगरा द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251 के अन्तर्गत निर्णय पारित करते हुए प्रचलित रास्ता खुला रखने का आदेश दिया जिससे पिडित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। सम्पुर्ण पत्रावली एवं तहसीलदार रेलमगरा के निर्णय के अवलोकन करने के उपरान्त उभयपक्षों की बहस सुनने पर स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार द्वारा जो निर्णय पारित किया गया हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है परन्तु इस प्रकरण में चूंकि राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकन नहीं है, तथा जब तक राजस्व रेकार्ड में रास्ता का अंकन नहीं होता है तब तक भविष्य में कभी भी पुनः रास्ता बन्द करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं अतः तहसीलदार रेलमगरा के निर्णय को यथावत रखते हुए रेस्पोडेन्टस् को यह निर्देश दिया जाता हैं कि रास्ता स्वीकृत करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत आवेदन करें। एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार निर्धारित शुल्क अपीलान्ट को जमा कराते हुए रास्ता स्वीकृत करवायें। इस संबंध में अपीलान्ट को आदेशित किया जाता हैं कि भविष्य में विवादों से बचने के लिए वर्तमान में मौके पर प्रचलित एवं उपयोग में आ रहे रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने हेतू निर्धारित शुल्क प्राप्त कर रेस्पोडेन्टस् का सहयोग करे ताकि प्रचलित रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन हो सके तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो। उक्तानुसार उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के न्यायालय में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सहमती बना कर आवेदन प्रस्तुत करें तथा निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।उक्तानुसार तहसीलदार रेलमगरा के निर्णय को यथावत रखा जाता हैं। तथा अपील अपीलान्ट खारीज की जाती हैं।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द